होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, मध्यप्रदेश

ज्ञापन

क्रमांक/दो–8/ 6..1 /आडिट./16–17, जबलपुर, दिनांकः– 28 जनवरी, 2017

प्रति,

समस्त डिवीजनल कमाण्डेंट,
होमगार्ड, मध्यप्रदेश।

विषय :– लंबित आक्षेपो एवं वसूलियो के संबंध में ।

संदर्भ :– मुख्यालय का ज्ञापन क्रमांक दो–20/13713/ वित्त–8, दि0:– 05–12–2016 एवं क्रमांक दो–20 /34/ वित्त–8, दि0:– 27–11–2016

---000---

दिनॉकः–27--01–2017 को लंबित कार्यो की समीक्षा में पाया गया है, कि आपके स्वंय के कार्यालय एवं अधिनस्थ जिला कार्यालयो के लेखा परीक्षण के लंबित आक्षेपो एवं वसूलियो के लिए मुख्यालय द्वारा अनेक अवसरो पर पत्र लेख कर लेखा परीक्षण आक्षेपो एवं वसूलियो का निराकरण तत्परता एवं दृढतापूर्वक करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आपके द्वारा मुख्यालय के पत्रो का प्रतिउत्तर नही करना एवं वर्षो से लंबित आडिट आक्षेपो/वसूलियो का पाया जाना स्पष्ट करता है, कि आपके द्वारा मुख्यालय के निर्देशो एवं आक्षेपो/वसूलियो के निराकरण कार्य को गंभीरता से नही लिया जा रहा है । यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है, जो एक नियंत्रण अधिकारी से कतई अपेक्षित नही है । इस प्रकार के कार्यो से दायित्वो के निर्वहन में आपकी शिथिलता के फलस्वरुप अधिनस्थो पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है,जो एक अनुशासित संगठन में कतई मान्य नही किया जा सकता है ।

अतः आप अपने स्वंय के कार्यालय एवं अधिनस्थ जिला ईकाईयो में लंबित आडिट आक्षेपो/वसूलियों का निराकरण प्राथमिकता के साथ 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्य रुप से करावे तथा लेखा परीक्षण आक्षेपो की प्रगति एवं पूर्तीपालन पृथक पृथक ईकाईवार निश्चित समयावधी की समाप्ति के सात दिवस अंदर अपनी समीक्षात्मक टीप के साथ मेरे नामजद अनिवार्यरुप से भेजा जावे ।

आप यह सुनिश्चित करें, कि यदि लेखापरीक्षण आक्षेपो के निराकरण की कार्यवाही में शिथिलता पाई जाती है, तो उसे गंभीरता से लिया जाकर सख्त यथोचित कार्यवाही पर विचार किया जावेगा ।

(आई.पी.कुलश्रेष्ठ)
पुलिस महानिरीक्षक,
होमगार्ड मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/दो–8/6..2/आडिट./ 16–17, जबलपुर, दिनांकः– 28 जनवरी, 2017

प्रतिलिपीः– कमाण्डेन्ट,केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्थान,होमगार्ड,मंगेली,जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु । आपकी पदस्थापना में पदस्थ किसी शासकीय सेवको के विरुद्ध यदि आडिट वसूलियॉ लंबित है, तो उसका निराकरण 7 दिवस की समयावधि में करना सुनिश्चित करें ।

आंतरिकः–पी.ए.टू.डी.जी./ पी.ए.टू.ए.डी.जी/
पी.ए.टू.आई.जी./सीनियर स्टाफ आफीसर (वित्त)

(आई.पी.कुलश्रेष्ठ)
पुलिस महानिरीक्षक,
होमगार्ड मध्यप्रदेश